



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23052025-263335
CG-DL-E-23052025-263335

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 389] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 23, 2025/ज्येष्ठ 2, 1947
No. 389] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 23, 2025/JYAISTHA 2, 1947

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मई, 2025

फा. सं. 6(1)95-नालसा.—कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 (1987 का 39) की धारा 3-अ के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश माननीय श्री न्यायमूर्ति विक्रम नाथ को 25.05.2025 से उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष नामित करता है और दिनांक 9.2.2000 की अपनी अधिसूचना सं 115 (अ) में निम्नलिखित संशोधन करता है अर्थातः-

उक्त अधिसूचना के क्रम संख्या 1 और उससे संबद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थातः-

- श्री न्यायमूर्ति विक्रम नाथ - अध्यक्ष
- न्यायाधीश, भारत का उच्चतम न्यायालय

भरत पाराशर, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के महासचिव/सदस्य सचिव प्रभारी

[विज्ञापन-III/4/असा./122/2025-26]

NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY
NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd May, 2025

F. No. 6(1)95-NALSA.—In exercise of the powers conferred by Section 3A of the Legal Services Authorities Act, 1987 (39 of 1987), Hon'ble the Chief Justice of India is pleased to nominate **Hon'ble Mr. Justice Vikram Nath**, Judge, Supreme Court of India, as Chairman of the Supreme Court Legal Services Committee with effect from 25.05.2025 and makes the following amendment in its Notification No. S.O.115(E) dated 09.02.2000 namely:-

In the said Notification, for the serial number (1) and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely: -

1. “**MR. Justice Vikram Nath**— CHAIRMAN”
Judge, Supreme Court of India.

BHARAT PARASHAR, Secy. General of Supreme Court of India/ Member Secy. I/C

[ADVT.-III/4/Exty./122/2025-26]